न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 151/2023

अपीलान्ट

1. शैतानराम
2. अर्जुनराम पिसरान कानाराम जातियान देवासी निवासी गुडाकंला तहसील सोजत

बनाम

रेस्पोडेन्टान

1. अमानराम पुत्र घेवरराम
2. गवरीदेवी पत्नी घेवराम
3. मोहनीदेवी पुत्री घेवरराम
4. शैतानराम पुत्र घेवरराम
5. सन्तोषदेवी पुत्री घेवरराम जातियान देवासी निवासी गुडाकंला तह0 सोजत
6. सरपंच ग्राम पंचायत गुडाकंला ग्राम पंचायत गुडाकंला तहसील सोजत जिला पाली राज0
7. तहसीलदार भूमि धारक सोजत जिला पाली राजस्थान

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75(1)(डी.) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, बसिलसिले स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1373, स्वीकृत दिनांक 25.05.2022 सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ा कलां के विरूद्ध उपस्थितिः–

श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 10/07/2024

अधिवक्ता अपीलान्ट ने राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा गुड़ाकलां तहसील सोजत के ख.नं. 788 रकबा 0.60 है0 किस्म बा0दो0 कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पो0 सं0 1 से 5 पिता/पति घेवरराम व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित थी। उक्त भूमि में रेस्पो0 सं0 1 से 5 का 2/25 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में 10/25 हक हिस्सा निहित था। रेस्पो0 सं0 1 से 5 के पिता/पति घेवरराम व अन्स सहखातेदारान केलीदेवी, आनंदीदेवी, तुलसीदेवी, गंवरीदेवी ने उक्त कृषि भूमि में अपने सम्पूर्ण हक हिस्से का बेचान आम मुख्तियारनामा के जरिये अपीलांटगण के पक्ष में दिनांक 10.01.2022 को बेचान कर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बेचान करवाया। बेचान के पश्चात् रेस्पो0 सं0 1 से 5 के पिता/पति का देहान्त हो गया। जिनकी मृत्यु के पश्चात् रेस्पो सं0 1 से 5 द्वारा ग्राम पं. गुडा कलां में स्थित अन्य कृषि भूमि के ख.नं. 749 व 750 में फौतेदगी नामा0 इन्द्राज कराते वक्त अपीलांट को बेचानसुदा भूमि को भी सम्मिलित करते हुए नामा0 सं0 1373 अपने पक्ष में स्वीकृत करवा दिया। जो कि अपीलांट के हक अधिकारों के विरूद्ध हैं। अपीलांट आज भी अपनी खरीदसुदा भूमि में काबिज काश्त हैं। जिसे खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है तथा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 24.08.2023 को बैंक से ऋण प्राप्त करने पर जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की गई तब प्रथम बार अपीलांट को यह जानकारी हुई कि उसकी खरीदसुदा कृषि भूमि को रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दिया गया है। जिससे उक्त देरीना अवधि को कण्डोन किये जाने का ईश्तदुआ की है। इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को जरिये रजि0 एडी डाक विभाग से तलब किया गया। डाक विभाग से रेस्पो0 को जारी नोटिस एक माह की अवधि के पश्चात् भी नहीं लौटे हैं। लिहाजा रेस्पो0 की तामिल मानते हुए तामिल की श्रेणी में आने से तामिल माना जाता हैं। बावजूद सूचना/तामिल अनुपस्थित रहने से रेस्पो0 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बहस अपीलांट सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने व्यक्त किया कि अपीलाधीन कृषि भूमि रेस्पो0 सं0 1 से 5 के पिता/ससुर द्वारा अपीलांट को बेचान कर दी गई थी। किन्तु रेस्पो0 सं0 1 से 5 के पिता/ससुर के देहान्त के पश्चात् फौतेदगी नामा0 दर्ज करते समय अन्य कृषि भूमि के साथ में अपीलाधीन कृषि भूमि का भी नामा0 रेस्पो0 सं0 1 से 5 के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त नामा0 विधि विरूद्ध होने से देरीना अवधि को कण्डोन किया जाकर उक्त नामा0 को अपास्त किया जावे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्यन कर बहस अपीलांट पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः धारा 05 म्याद अधिनियम में प्रस्तुत देरीना कारण युक्ति युक्त होने से देरीना अवधि को कण्डोन (क्षम्य) किया जाता है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा बेचान रजिस्ट्री दिनांक 13.01.2022 पेश किया गया जो कि उप-पंजीयन कार्यालय बगडी नगर में दिनांक 30.11.2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 31, पृष्ठ संख्या 73, क्रम संख्या 202203329100057 पर पंजीबद्ध किया गया। जिसमे कानाराम पुत्र गोपालराम जाति राईका द्वारा अपीलांट के पक्ष में ख.नं. 788 रकबा 0.60 है0 की कृषि भूमि में 10/25 हिस्सा का बेचान किया जाना साबित होता हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि **सरपंच ग्राम पंचायत गुडाकंला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1373 स्वीकृत दिनांक 25.05.2022 बिना विधिक जांच किए भरा गया जो अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना, उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को मूल नामान्तरकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।**

-: आदेश :-

अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार योग्य है, लिहाजा स्वीकार की जाती है। ग्राम ग्राम गुडाकंला के खसरा नम्बर 788 रकबा 0.60 हैक्टर की भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1373 दिनांक 25.05.2022 अपीलाण्ट के हक अधिकारों के विपरीत होने से होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पूर्व स्थिति को बहाल करते हुए उक्त कृषि भूमि के ख0 नं0 788 में माफिक बेचाननामा दिनांक 13.01.2022 अपीलाण्ट के नाम निष्पादित पंजीबद्ध दस्तावेजात के अनुसार पुनः नये सिरे से जांच करके विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 10/07/2024 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत